

## कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन लोक निर्माण अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2200/111(2)/22-17(सामान्य)2008 दिनांक-17 जून 2022 के द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अनुपालन में केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति द्वारा दिनांक-14.08.2024 को बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवशेष अवधि हेतु दिनांक-24.08.2024 को शेड्यूल ऑफ रेट्स जारी किया गया था जिसमें सेतु कार्यों हेतु अतिरिक्त Overhead Charges देय थे।

वर्तमान में ऑनलाईन e-dpr प्रणाली लागू किये जाने के निर्देशों के क्रम में दिनांक-24.08.2024 को जारी SOR में Material, Labour & Machinery की केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति द्वारा निर्धारित मूल दरों को यथावत रखते हुए सेतु कार्यों की मदों में अतिरिक्त Overhead Charges को शेड्यूल ऑफ रेट्स में ही जोड़ते हुए दरों को e-dpr के अनुरूप पुनरीक्षित किया गया है। संशोधित शेड्यूल ऑफ रेट्स में अतिरिक्त Overhead Charges पृथक रूप से देय नहीं होंगे।

अतः दिनांक-24.08.2024 को जारी शेड्यूल ऑफ रेट्स को उक्त सीमा तक संशोधित कर जारी किया जाता है।

—

(इं० दीपक कुमार यादव)  
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, लोक नियोजन उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/नियोजन) विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
7. वित्त नियंत्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
8. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
9. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0/वि0/याँ0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 देहरादून/हल्द्वानी/पौड़ी/अल्मोड़ा।
10. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
11. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
12. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।